1.6

6

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand   Office of the District Collector, Chamoli

No.   Dated

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **9.8 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PWD Pokhari (PMGSY), Uttarakhand** for Construction of Pokhari-Kandai Motor Road under PMGSY in Chamoli district falls within jurisdiction of Gugli, Sarnachain, Dhamak, Kaafalpaani, Bhatav, Trishula villages in Pokhari Tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **9.8 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

तहसीलदार
तहसील पोखरी
जिला चमोली

3/11/2015

उप जिलाधिकारी
पोखरी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग
गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
अलकनन्दा भूसंरक्षण वन प्रभाग
गोपेश्वर

जिलाधिकारी
चमोली

प्रारुप–30.2

परियोजना का नामः– जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत पोखरी–काण्डई मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी पोखरी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति पोखरी

उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत पोखरी–काण्डई मोटर मार्ग के अन्तर्गत (4.20 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 3.15 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 7.35 हे0 वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पोखरी)की दिनांक 17/01/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री/श्रीमती बी. एस. नेगी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क0सं0	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री /श्रीमती बी. एस नेगी	उपजिलाधिकारी – अध्यक्ष	[signature]
2	श्री /श्रीमती धीरज सिंह नेगी	वन क्षेत्राधिकारी–सदस्य	[signature]
3	श्री /श्रीमती T.S. Rana	सहायक समाज कल्याण अधिकारी / ए.बी. डी.ओ. –सदस्य	[signature]
4	श्री /श्रीमती प्रदीप लखेड़ा	क्षेत्र पंचायत सदस्य –सदस्य	प्रदीप
5	श्री /श्रीमती प्रभा देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य –सदस्य	प्रभा देवी
6	श्री /श्रीमती सरोजनी देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य –सदस्य	सरोजनी देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि पोखरी–काण्डई मोटर मार्ग परियोजना हेतु 7.35 हे0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग केदारनाथ द्वारा अनुसूचित जनजाति एव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत पोखरी–काण्डई मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 7.35 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–पोखरी
जनपद चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–पोखरी
जनपद–चमोली

1.6

8

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :–प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत पोखरी–काण्डई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –गुगली, शरणाचाई,ढामक, काफलपानी
तहसील, पोखरी जिला–चमोली
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत पोखरी–काण्डई मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु सिविल सोयम भूमि कुल वन भूमि 4.2 है० वन पंचायत भूमि 3.15 है० कुल वनभूमि 7.37 है० का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्त्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गुगली, शरणाचाई, ढामक, काफलपानी द्वारा दिनांक 12-12-14 सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गुगली, शरणाचाई, ढामक, काफलपानी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पोखरी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

नोट :– ' यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रारुप–30.3

परियोजना का नामः–जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी–काण्डई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :–

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– गुगली, शरणाचांई, बीणा तल्ला, काफलपानी,

तहसील–पोखरी, जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी–काण्डई मोटर मार्ग के परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 0.0 हे0, सिविल सोयम भूमि 4.2 हे0, वन पंचायत भूमि 3.15 हे0) अर्थात कुल 7.35हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गुगली, शरणाचांई, बीणा तल्ला, ढामक, काफलपानी द्वारा दिनांक 12.12.2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गुगली, शरणाचांई, बीणा तल्ला, ढामक, काफलपानी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पोखरी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सरपंच प्रतापसिंह
काफलपानी

प्रधान
ग्राम बीणा तल्ला

ह0/–	ह0/–
ग्राम सचिव	ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित	मुहर सहित

परियोजना का नामः—जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी—काण्डई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावः—

दिनांक 12/12/014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बीणा तल्ला, काफलपानी (त्रिशूला)

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1 -	अनीता देवी प्रधान बीणा तल्ला	अनीता देवी
2 —	किशोर सिंह ग्राम बीणा तल्ला	[signature]
3 —	रणजीत सिंह —''— —''—	रणजीत सिंह
4 —	कमल सिंह —''— —''—	कमल सिंह
5 —	राजेश्वरी देवी —''— —''—	राजेश्वरी देवी
6 —	राजू लाल ग्राम प्रधान त्रिशूला (काफलपानी)	राजू लाल
7 —	दर्शनी देवी ग्राम त्रिशूला (काफलपानी)	दर्शनी देवी
8 —	मोहन लाल —''— —''—	मोहन लाल
9 —	बीरसिंह —''— —''—	बीरसिंह
10 —	अनुसुया प्रसाद —''— —''—	अनुसुया प्रसाद
11 —	विशम्भर दत्त —''— —''—	विशम्भर दत्त
12 —	केशर सिंह —''— —''—	[signature]

ह0/—
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत बीणा तल्ला
हस्ताक्षर अनीता देवी
दिनांक
वि0 ख0 पोखरी (चमोली)

प्रधान ग्राम पंचायत त्रिशूला
हस्ताक्षर राजू लाल
दिनांक
वि0 ख0 पोखरी (चमोली)